न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प कोलीवाडा, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं.— 70/2017
दायर तिथि— 20.11.2017
तारीख फैसला— 09.05.2018

प्रार्थीगणः—
1— माधूसिंह पुत्र स्व. फूलसिंहजी, उम्र बालिग,
2— मूलसिंह पुत्र स्व. फूलसिंहजी, उम्र बालिग,
3— मदनसिंह पुत्र स्व. फूलसिंहजी, उम्र बालिग, जातिगण राजपूत, निवासी अणगौर तहसील सुमेरपुर, जिला पाली(राज.)

—बनाम—

अप्रार्थीगणः—
राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार (भूमिधारी), सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

राजस्व विविध अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट, 1955

—:निर्णयः—

(1) प्रार्थीगणों ने खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सुखाधिकार व रास्ते का राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 104 सरहद मौजा अणगौर पटवार क्षैत्र कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर में आई हुई स्थित है। वर्तमान नक्शा ट्रेस व मौके अनुसार प्रार्थीगण ग्राम अणगौर पटवार क्षैत्र कोलीवाडा के खसरा नं. 104 रकबा 0.5100 हैक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम आई हुई स्थित है। जिसके पूर्व की ओर सिवायचक(सरकारी) कृषि भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 0.0900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल आई हुई स्थित है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने, ट्रैक्टर व बैल गाडी लाने ले जाने के लिए उक्त वर्णित रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं। सलंग्न नजरी नक्शा में बरंग—लाल से दर्शाये अनुसार मौके पर कदीमी से उपयोग व उपभोग में आ रहे रास्ते के सुखाधिकार हेतु गै.मु.रास्ता घोषित करवाने का निवेदन किया गया।
(2) प्रार्थीगण द्वारा खसरा न. 104 में आने जाने हेतु गांव से खेतों में जाने वाले रेकर्ड रास्ते से होते हुये खसरा नं. 102 दक्षिण माठ के सहारे सहारे कदीमी रास्ता है जिस रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण पुश्तैनी रूप से करते आ रहे है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 104 में आने जाने हेतू खसरा नं. 102 मे से निकल रहे कदीमी रास्ते को सलंग्न नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शाया है।
(3) राजस्व रेकर्ड एवं मौके अनुसार ग्राम अणगौर के खसरा नं. 102 में रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है। प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का कोई निर्माण किया हुआ नहीं है एवं तहसीलदार सुमेरपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण द्वारा चाही गई प्रस्तावित रास्ता भूमि जिसकी किस्म बारानी अव्वल है जो प्रतिबंधीत नहीं होने से उपयुक्त होना बताई है इसके अलावा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है।
(4) फलस्वरूप उल्लेखित विश्लेषण विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज जमाबंदी संवत 2073—76 नक्शा ट्रेस इत्यादि तथा पटवारी, व निरीक्षक कोलीवाडा की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है। जिसके फलस्वरूप हमारे विधिक मतानुसार प्रार्थीगण का कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार करके प्रार्थीगण को उल्लेखित अपनी

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला—पाली

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य व देखभाल करने हेतु आने–जाने व सुखाधिकार के लिए कतिपय प्रावधानों के तहत प्रस्तावित रास्ता भूमि को सार्वजनिक रूप से गै.मु..रास्ता भूमि घोषित करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन तथ्यों के परिणामतः कथित प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा अणगौर पटवार मण्डल कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 104 में आने जाने हेतु, सिवायचक खसरा नं. 102 के दक्षिण माठ के सहारे–सहारे संलग्न नजरी नक्शा में बरंग–लाल से दर्शित है। प्रस्तावित रास्ता भूमि को इस शर्त पर सार्वजनिक उपयोग हेतु गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है कि उपरोक्त घोषित रास्ता के लिए भूमि की लम्बाई 32 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर कुल रकबा 128 वर्ग मीटर भूमि के क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान प्रचलित बाजारू दर(DLC) के आधार पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मूल्यांकन करके देय राशि की दो–गुणा राशि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करावे, तद्परान्त तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी कोलीवाडा माफिक आदेश के राजस्व रेकर्ड में घोषित रास्ता भूमि को सार्वजनिक उपयोग हेतु बतौर गै.मु. रास्ता दर्ज कर व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करें। नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग माना जायेगा।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कोलीवाडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर-पाली

Scanned by CamScanner